2020/00160

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण / प्रार्थी — अप्रार्थीगण / अप्रार्थी

सुगनादेवी वगैरह — **बनाम** — **सरकार जरिये तहसीलदार जायल / नायब तहसीलदार डेह**

प्रकरण : राजस्व प्रा0पत्र 136 एल.आर.एक्ट — मुकदमा नं. 53/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
22.07.2020	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अधीन धारा 136 एल. आर.एक्ट के तहत विरूद्ध सरकार जरिये तहसीलदार जायल/नायब तहसीलदार डेह के पेश हुआ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थी सुगनादेवी पुत्री गिरधारी का नाम जमाबंदी ग्राम गुढ़ारोहिली सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 37 खसरा नं. 140 में दर्ज है, जबकि अप्रार्थी का सही नाम सुगनादेवी पुत्री भागीरथ है, ओर सुगनादेवी, गिरधारी की बहन है, उक्त त्रुटी नामान्तरकरण ऑनलाईन जमाबंदी फीडिंग की जाने के दौरान राजस्व कर्मियों से भूलवशः हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, नायब तहसीलदार रिपोर्ट/अभिशंषा एवं नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 07.11.2019 का अवलोकन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गुगरियाली के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.12.2019 में गिरधारी पुत्र भागीरथराम के फौतगी नामान्तकरण में सुगनादेवी पुत्री भागीरथ दर्ज है के नाम पास हो रखा है परन्तु अप्रार्थी द्वारा फौतगी नामान्तकरण ऑनलाईन फीडिंग के दौरान (टाईपिंग मिस्टेक) सहवन से सुगनादेवी पुत्री भागीरथ के स्थान पर सुगनादेवी पुत्री गिरधारी जमाबंदी मे नाम अंकन कर दिया जाना प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रथम दृष्टयां स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 आर.एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुढ़ा रोहिली तहसील जायल के खाता संख्या 37 खसरा नं. 140 की भूमि में प्रार्थी सुगनादेवी पुत्री गिरधारी के स्थान पर सुगनादेवी पुत्री भागीरथ नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जायल (नागौर)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 53/ 2020

प्रार्थीगण
1. सुगनादेवी पुत्री भागीरथ
2. भंवरी पुत्री मघाराम
3. मुन्नाराम पुत्र मघाराम
4. मुन्नी पुत्री मघाराम
5. मूलाराम पुत्र मघाराम
6. श्रवणराम पुत्र मघाराम
7. श्रीराम पुत्र भागीरथ
   जातियान–जाट, निवासीगण मांझवास तहसील नागौर।

बनाम

अप्रार्थी – सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

1. प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
2. राजपैरोकार उपस्थित।

दिनांक : 22.07.2020

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी सुगनादेवी पुत्री गिरधारी का नाम जमाबंदी ग्राम गुढ़ारोहिली सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 37 खसरा नं. 140 में दर्ज है, जबकि अप्रार्थी का सही नाम सुगनादेवी पुत्री भागीरथ है, ओर सुगनादेवी, गिरधारी की बहन है, उक्त त्रुटी नामान्तरकरण ऑनलाईन जमाबंदी फीडिंग की जाने के दौरान राजस्व कर्मियों से भूलवशः हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश कर निवेदन है कि उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर
(उप. खं. अ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। राजपैरोकार उपस्थित हुये जिन्होने प्रार्थीया सुगनादेवी का नाम ग्राम पंचायत गुगरियाली द्वारा पारित फौतगी नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 07.11.2019 सही होना व उक्त नामान्तकरण ऑनलाईन जमाबंदी फिडिंग के दौरान टंकण त्रृटी (टाईपिंग मिस्टेक) से प्रार्थीयां का नाम सुगनादेवी पुत्री भागीरथ के स्थान पर सुगनादेवी पुत्री गिरधारी दर्ज हो गया। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किये जाने में सहमति व्यक्त की।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, नायब तहसीलदार रिपोर्ट/अभिशंषा एवं नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 07.11.2019 का अवलोकन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गुगरियाली के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.12.2019 में गिरधारी पुत्र भागीरथराम के फौतगी नामान्तकरण में सुगनादेवी पुत्री भागीरथ दर्ज है के नाम पास हो रखा है परन्तु अप्रार्थी द्वारा फौतगी नामान्तकरण ऑनलाईन फीडिंग के दौरान (टाईपिंग मिस्टेक) सहवन से सुगनादेवी पुत्री भागीरथ के स्थान पर सुगनादेवी पुत्री गिरधारी जमाबंदी मे नाम अंकन होने से प्रकरण नामान्तरण अपील का ना होकर केवल अंकनीय त्रुटी है जो कि भू.अभिलेख अधिकारी द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 136 में श्रवण योग्य एवं क्षेत्राधिकार का पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रथम दृष्टयां स्वीकार जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम गुढ़ारोहिली तहसील जायल के खाता संख्या 37 खसरा नं. 140 रकबा 13.2494 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम सुगनादेवी पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी मांझवास के स्थान पर सुगनादेवी पुत्री भागीरथ जाति जाट देह खातेदार दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22/07/2020 को लिखा जाकर मेरे द्वारा मजमे आम सुनाया गया।

22.7.2020

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड

अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner